प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः प्रा0शि0/3039-44/अनुश्रवण/ 2016–17 दिनांक 17 मई 2016।

विषय– **दिनांक 7 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक विद्यालयों में किये गये विशेष निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 7 अप्रैल 2016 से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में पांच मुख्य बिन्दु यथा–

1. बिना अवकाश अनुमन्य कराये अनुपस्थित शिक्षकों के नाम।
2. विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो रहा है अथवा नहीं।
3. शिक्षकों के नाम, जिनके द्वारा दैनन्दनी नहीं बनाई गयी है।
4. सुधारात्मक/उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है अथवा नहीं तथा
5. बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 के कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाया गया। फलस्वरुप मण्डल/जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 7 अप्रैल से 22 अप्रैल 2016 तक किए गए निरीक्षणों को जनपदवार संकलित कर, इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आप द्वारा निरीक्षित उक्त बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा के पत्र संख्या/निरीक्षण/253–302 2016–17 दिनांक 16 अप्रैल 2016 तथा 6281–6348/23(12)एक/2013/ दिनांक 7 अगस्त 2014 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करें तथा उक्त बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की सूचना 3 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराए।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय
17/5/16
(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: प्रा0शि0/3039-44 /अनुश्रवण/ 2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।